न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 42 / 16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा, खाद्य कारोबार कर्ता एवं मैनेजर) फर्म :– मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड़ (इंदाना पैलेस, जोधपुर। निवासी :– 132 के.वी. जेइई कॉलोनी, करौली।
2. श्री योगेश चारन, (नोमिनी) फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) नि. 632 / 11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।
3. फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632 / 11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632 / 11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक एस.एस. ट्रे में पनीर 6 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मिल्क पनीर 1 किलोग्राम वास्ते वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 200 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा पनीर को हिला–मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (250ग्राम) में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव की डालकर प्रत्येक शीशी पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर ईई–617 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप ईई–617 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना ईई–617 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर की चारों नमूना शीशीयां को अलग–अलग 2–2 भागों में ईई–617 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 671 / एक्ट / 2015 / 671 दिनांक 24.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना ईई–617 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना ईई–617 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

7. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया की अप्रार्थीगण द्वारा पनीर का उत्पादन नहीं किया जा अपितु बाजार से खरीदा जाता हैं। उक्त पनीर का नमूना उचित नहीं होने से आपूर्तिकर्ता को बदल दिया है। बहस हेतु बार बार मौका दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई । बार–बार अवसर देने के उपरांत भी अप्रार्थीगण बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः मै प्रकरण में एकतरफा निर्णय देने उचित समझती हूँ।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने प्रकरण में लापरवाही दिखाते हुए बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी बहस करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए तथा यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्री जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 24.09.2015 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 49 व 51 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 49 व 51 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 75000/ अक्षरे रूपये पचहत्तर हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 2/8/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

कमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 1772-1776

दिनांक : 02/08/2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विनोद कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
03. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर) फर्मः– मै. वेव हॉटेल एण्ड एस्टेट प्रा. लि. (इंदाना पैलेस), जोधपुर। निवासी :– 132 के.वी. जेईई कॉलोनी, करौली।
04. श्री योगेश चारन, (नोमिनी) फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) नि. 632 / 11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।
05. फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632 / 11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर